Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी फिरोज को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त फिरोज पुत्र बाबू निवासी मौहल्ला केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बडौत पर मु0अ0सं0 360/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.02.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त फिरोज को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर   दिनाँक 05.02.2025

थाना चांदीनगर पर पंजीकृत आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 20 अभियोगों में बरामद 122 लीटर अवैध शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में-

कार्यवाही

दिनाँक 05.02.2025 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना चांदीनगर पर वर्ष 2023 व वर्ष 2024 के आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित 20 अभियोगों में बरामद 122 लीटर अवैध शराब को श्रीमती प्रीता क्षेत्राधिकारी खेकड़ा, श्री अभिषेक कुमार तहसीलदार बागपत व संजय कुमार थाना प्रभारी चांदीनगर की उपस्थिति में नष्ट कराया गया।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट **दिनाँक-05.02.2025**

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 23/25 धारा 191(2)/109/115(2) बीएनएस में एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.01.2025 को थाना दोघट पर वादी पालेराम पुत्र अतल सिंह निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.बाल अपचारी 2.इरशाद निवासीगण पलडा थाना दोघट, 3.आसिफ, 4.नदीम पुत्र फिरोज खाँन निवासी असारा थाना रमाला व अन्य 2-3 अज्ञात के द्वारा वादी के भतीजे विवेक पुत्र रविन्द्र सिंह के साथ क्रिकेट बैट व स्टम्प से मारपीट की, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 23/2025 धारा 191(2)/109/115(2) बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया।

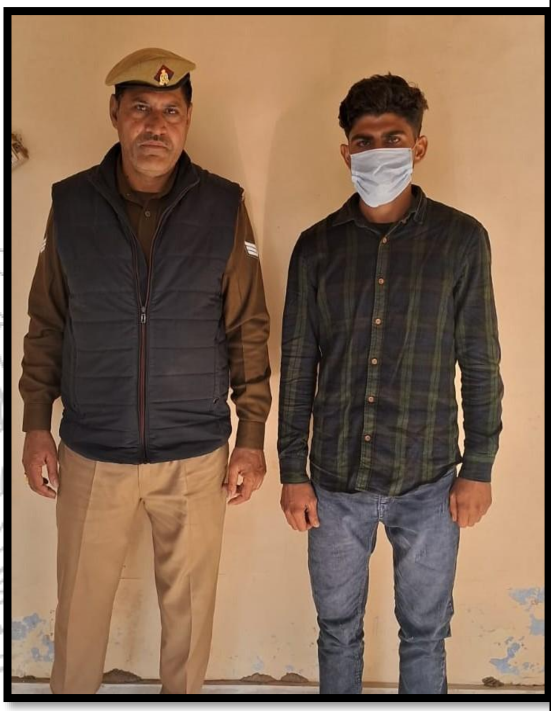

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/2025 धारा 191(2)/109/115(2) बीएनएस 2023 से सम्बन्धित एक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नदीम पुत्र फिरोज निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
2-उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
3-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 05.02.2025**

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पर्दाथ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 05 ग्राम अवैध स्मैक (हिरोईन) बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 05 ग्राम अवैध स्मैक (हिरोईन) बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशू उर्फ आस मौहम्मद पुत्र जोनी निवासी मौहल्ला मिर्धान कस्बा व थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- 05 ग्राम अवैध स्मैक (हिरोईन) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विकास कुमार थाना बडौत।

2-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 05.02.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 64/25 धारा 191(2)/115(2)/110 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.02.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी जितेन्द्र पुत्र तारा सिंह निवासी कोर्ट रोड गली नं0 06 कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.यशपाल पुत्र सोमपाल, 2.प्रमोद पुत्र सोमपाल, 3.अरूण पुत्र सोमपाल, 4.सोमपाल पुत्र अतर सिंह व 5.इन्द्र पुत्र अतर सिंह निवासीगण बडौत रोड वार्ड नं0 02 कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के साथ मारपीट की गई, जिससे वादी मारपीट के दौरान बेहोश हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 64/25 धारा 191(2)/115(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 64/25 धारा 191(2)/115(2)/110 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद 01 अभियुक्त सोमपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोमपाल पुत्र अतर सिंह निवासी बडौत रोड वार्ड न0 02 कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रोशनलाल थाना बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 214 उमेश थाना बागपत जनपद बागपत।